विपणन सहकारी संस्था की
उप विधियां

-: प्रकाशक :-

जिला सहकारी संघ मर्यादित

चौबे कालोनी, रायपुर (छ. ग.)

फोन : 0771-2255998

मूल्य - 50 रूपये

(वर्ष 2012-13)

हम विश्वास करते हैं

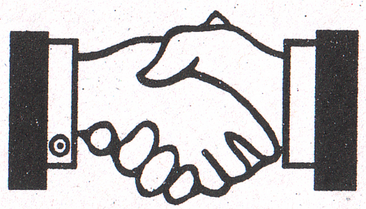

एक दूसरे में

मुद्रक :- जिला सहकारी संघ, सहकारी मुद्रणालय, चौबे कालोनी, रायपुर

कार्यकारिणी की स्वीकृति से सदस्यता छोड़ सकता है, बशर्तें कि उसके समिति से ली हुई समस्त रकमें वापिस कर दी हो तथा अपना ऋण मय ब्याज के अदा कर दिया हो अथवा समिति के अन्य दायित्व जो उस पर जमानतदार की हैसियत से या अन्य प्रकार से है, का पूरी तरह से निपटारा कर दिया हो।

(2) यदि कोई सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ना चाहता है तो वह समिति के सचिव को तीन माह की लिखित सूचना देगा तथा वह सदस्यता से अलग उस दिनांक से माना जायेगा, जिस दिनांक से कार्यकारिणी द्वारा उसे सदस्यता छोड़ने की अनुमति दी गई हो।

(3) जिस सदस्य ने समिति की सदस्यता छोड़ दी हो, उसे उसके संघ की कीमत मय लाभांश के यदि कोई हो तो वापस कर दी जावेगी। किसी भी सहकारी वर्ष में वापिस की गई कुल अंशपूंजी समिति की विगत 30 जून तक प्रदत्त अंश पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(13) सदस्य का निष्कासन

(1) कार्यकारिणी समिति किसी भी सदस्य को ¾ (तीन बटा चार) के बहुमत पर निष्कासित कर सकती है–

(अ) यदि वह समिति की साख को क्षति पहुंचाये या उसकी बदनामी करने का प्रयत्न करता हो।

(ब) जानबूझकर झूठे विवरणों द्वारा समिति को धोखा देता हो।

(स) कोई ऐसा धंधा करता हो, जिससे समिति के धन्धे से प्रतिस्पर्धा होती हो।

(द) सब्जी उगाना बंद कर दें।

(इ) समिति की देय रकम समय पर नहीं चुकाता हो।

(उ) लगातार दो वर्ष तक अपनी उपज समिति के माध्यम से नहीं बेचता हो।

(फ) लगातार दो वर्ष परिवहन विपणन के किसी प्रक्रिया से

प्रस्तावित ....

विपणन सहकारी संस्था मर्यादित

.... जिला.................. (छ.ग.)

–: उप–विधियां :–

(1) नाम व पता

इस समिति का नाम .... विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, ... जिला.............................. होगा तथा पंजीकृत पता.................................... जिला.................एवं दायित्व मर्यादित होगा।

(2) कार्यक्षेत्र :–

.... जिला........................ (छ.ग.) होगा ।

(3) शब्दों की व्याख्या

यह प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इन उपविधियों से :–

(क) **अधिनियम** :– इससे तात्पर्य सहकारी समितियां अधिनियम 1960 (क्रमांक) 17,1961 से है।

(ख) **आमसभा** :– इससे तात्पर्य समिति के सदस्यों का सामान्य निकाय (जनरल बाडी) की बैठक है।

(ग) कमेटी से तात्पर्य समिति प्रबन्धकारिणी की सामान्य निकाय समिति से है।

(घ) **मंडल** :– इससे तात्पर्य समिति के संचालक मंडल से है, जो इन उप–विधियों के अनुसार बनाया गया है।

(ङ) **प्रबंध संचालक** :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी से तात्पर्य समिति के उस पद पर नियुक्त किये गये व्यक्ति से है।

(च) **पंजीयक** :– से तात्पर्य पंजीयक, सहकारी समितियां, छत्तीसगढ़

से है, जिसमें अतिरिक्त पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप-पंजीयक तथा सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां शामिल है।

(छ) नियमों से तात्पर्य छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां नियम 1962 से है।

(ज) समिति से तात्पर्य अर्थ उपविधिन के उल्लेखित समिति से है।

(फ) साग सब्जी, फल फूल उत्पादक से तात्पर्य जो व्यक्ति कृषक अपने कृषि भूमि में उत्पादन स्वयं करते हैं।

(य) एजेन्ट/सब-एजेन्ट/विक्रेता से तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इस संस्था से अनुबन्ध कर विपणन का कार्य करेंगे।

(4) उद्देश्य

(1) वर्ष भर साग-सब्जी, फल फूल उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के साग सब्जी, फल फूल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना तथा उन्हें नये अनुसंधानों से वैज्ञानिक तरीकों से उत्पादन करने हेतु उत्साहित करना।

(2) साग-सब्जी, फल फूल की विपणन की ऐसी व्यवस्था करना, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ते से सस्ते भावों में वस्तुएं उपलब्ध हो सके।

(3) शहर के विभिन्न वार्डों में विपणन की ऐसी व्यवस्था करना ताकि उपभोक्ताओं को उनके ही वार्डों में साग-सब्जी, फल-फूल उपलब्ध हो सके।

(4) साग-सब्जी, फल-फूल के रख रखाव हेतु ऐसी व्यवस्था करना, ताकि खराब होने से पहले उनका विपणन हो सके।

(5) विपणन प्रक्रिया के सुदृढ़ संचालन हेतु एजेन्ट या सब एजेन्ट नियुक्त करना। एजेन्ट या सब एजेन्ट उन बेरोजगार व्यक्ति/व्यक्तियों महिलाओं को नियुक्त किया जावेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हों, इस निमित्त स्वरोजगार हेतु यदि आवश्यक होगा तो डी.आर.डी.ए. अथवा ऐसी अन्य एजेन्सीज से जो गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने में सहयोग देती है, उनके वित्त या अनुदान व्यवस्था हेतु समिति प्रयास करेगी।

(6) समिति ऐसे शासकीय/अशासकीय संस्थनों से अनुबन्ध कर साग-सब्जी, फल-फूल प्रदाय कर सकेगी, जहां मेस चलाये जाते हैं। जैसे

पर समिति के सचिव के नाम दिये जावेंगे, इस प्रयोजन के लिये समिति में कोई प्रपत्र निर्धारित किया हो तो आवेदन पत्र में दिये जावेंगे।

ऐसे प्रत्येक आवेदन का निराकरण कार्यकारिणी द्वारा किया जावेगा, जिसे कि सदस्य स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

(क) समिति की सदस्यता पाने के लिये या हिस्से खरीदने के लिए समिति के व्यवस्थापक के पास ऐसे फार्म पर समिति द्वारा ठहराया हो, आवेदन पत्र देना होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम या उन नियमों के उप-वर्गों के अधीन सदस्यों के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिए सम्यक रुप से अर्हित (योग्य) हो, किन्तु कार्यकारिणी के स्वीकृति के पूर्व सदस्य नहीं माना जावेगा।

(10) सदस्य द्वारा नामांकन

प्रत्येक सदस्य एक ऐसे वैधानिक व्यक्ति को नामांकित करेगा, जिसे उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके हित अथवा अंश दिये जा सकेंगे, नामांकन की पुष्टि आवश्यक होगी।

(11) अंशों का हस्तांतरण

(1) समिति के प्रबंध कमेटियों ने जिन व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान कर दी है उनके हिस्से किसी अन्य को बिक्री, रहन दान तथा अन्य प्रकार के हस्तांतरित नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु संचालक मंडल किसी भी हिस्से की अपनी पूर्ण स्वेच्छा से बिना कारण बताए नामंजूर करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(2) हिस्सों का हस्तांतरण करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा हस्तांतरण किये जाने वाले हिस्से का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना पड़ेगा।

(12) सदस्यता छोड़ना

(1) कोई भी सदस्य उसके भर्ती होने के दिनांक से दो वर्षों के भीतर समिति की सदस्यता नहीं छोड़ सकता, उक्त अवधि के बाद वह

(2) ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि हो तथा साग–सब्जी, फल–फूल उत्पादन की क्षमता रखते हो, को 'ब' वर्ग के सदस्य होंगे। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, जिन्हें सदस्यता प्रदान की जावेगी।

(3) राज्य शासन को 'स' वर्ग की सदस्यता प्रदान की जावेगी।

(4) सदस्यता

किसी भी व्यक्ति को अथवा ब वर्ग का सदस्यता नहीं बनाया जावेगा, जब तक कि –

(1) उनकी आयु 18 वर्ष न हो चुकी हो तथा वह अनुबन्ध करने के योग्य न हो।

(2) वह कार्यक्षेत्र में रहने वाला एवं कृषि तथा परिवहन विपणन प्रक्रिया से सम्बद्ध न हो।

(3) उसने समिति का कम से कम एक अंश न खरीद लिया हो।

(4) उसने समिति को रूपये 25/– (पच्चीस रूपये) प्रवेश शुल्क न दे दिया हो।

(5) उसे अपनी सदस्यता आवेदन पत्र के साथ कृषि कार्य का कृषक होने का एवं विपणन प्रक्रिया से संलग्न होने का सत्यापित विवरण प्रपत्र न दे दिया हो।

(6) दिवालिया हो जाने पर अथवा दिवालिया करार दिये जाने का प्रार्थना पत्र देने पर,

(7) किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराये जाने पर जिससे उसका नैतिक पतन सिद्ध होता हो।

(8) मृत्यु हो जाने पर।

(9) सहकारी अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अधिभारत होने पर।

(9) सदस्यता की प्राप्ति

समिति के सदस्य बनने एवं उनके अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र

अस्पताल, जेल, छात्रावास इत्यादि।

(7) समिति मछली तथा अण्डे उत्पादकों से अनुबंध कर उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर अण्डे व मछली प्रदान करने का प्रयास कर सकेगी।

(8) समिति नगर पालिका, मत्स्य अभिकरण ग्राम पंचायतों तथा सिंचाई विभाग आदि से मत्स्य उत्पादन हेतु कार्य, बांधों व तालाब का अनुबन्ध करेगी।

(9) महाराष्ट्र के अहमदनगर प्रवरा शक्कर सहकारी कारखाना के प्रणाली अनुसार कृषकों से ऐसी कृषि भूमि को क्रय करना या लीज में लेना या अनुबंध पर जिससे सुचारू रुप से साग–सब्जी, फल–फूल का उत्पादन किया जा सकें। जिससे राष्ट्रीय हित में अनुपयोगी कृषि भूमि का सही उपयोग हो सके।

(10) समिति द्वारा स्वयं के कोल्ड स्टोरेज गोदाम और दुकानों के निर्माण हेतु शासकीय ऋण व अनुदान प्राप्त करना तथा अर्द्धशासकीय व आटोनॉमस बाडी से सहायता व अनुदान प्राप्त करना।

(11) समिति वित्त प्रदाय बैंकों से कर्ज प्राप्त कर सकेगी।

(12) समिति द्वारा ग्राम पंचायत तथा जनपद स्तर पर सप्ताह के विभिन्न दिनों में भरने वाले बाजार में उचित दाम पर साग–सब्जी, फल–फूल के विपणन की समुचित व्यवस्था करना।

(13) समिति शासन से संस्था के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर साग–सब्जी, फल–फूल, मत्स्य उत्पादन हेतु नदियों, तालाबों तथा अन्य भूमि पर वे उत्पादन कर सके, को उपलब्ध कराना।

(14) समिति अपने उत्पादक सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सहायता से उन्नत बीज, पेस्टीसाईट्स रासायनिक खाद तथा ऐसी अन्य उत्पादन में सहायक वस्तुओं का इंतजाम करना, जो आवश्यक हो।

(15) कुरूद विकासखंड में ऐसी साग–सब्जी, फल–फूल जिसका उत्पादन मांग से ज्यादा हो रहा हो, उनका लघु उद्योग स्थापित कर

निर्यात हेतु टीनिंग करना या ऐसे उत्पादन की प्रक्रिया को हाथ में लेना, जिन्हें बोतलों या टीनों में पैक कर बाजार में बेचा जा सके।

(16) ऐसे कृषकों को सदस्य बनाकर साग–सब्जी, फल–फूल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि हो, तथा उत्पादन की क्षमता रखते हों।

(17) समिति अपने योग्य सदस्यों को सदस्य बनाकर साग–सब्जी, फल–फूल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना।

(18) समिति अपने योग्य सदस्यों को केन्द्र, राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं में भ्रमण या प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित कर भेजना।

(19) समिति अपने सदस्यों में नान कन्वेन्शनल ऊर्जा के विकास तथा उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।

(20) समिति अपने सदस्यों में सहकारिता, स्वावलम्बन और मितव्ययिता की भावना बढ़ाना।

(21) समिति कार्यक्षेत्र के बाहर भी जिन स्थानों से अनवरत साग–सब्जी, फल–फूल की पूर्ति होती है, यहां अपने अधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों की नियुक्ति क्रय–विक्रय हेतु कर सकेगी।

(5) पूंजी एवं निधियां

(अ) समिति की पूंजी निम्नलिखित साधनों से एकत्रित की जावेगी

(1) अंश बेचकर

(2) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अंशदान एवं अनुदान,

(3) सदस्यों से तथा असदस्यों से अमानतें लेकर,

(4) शासन, सहकारी बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अथवा उनकी सहायक बैंक और अन्य एजेन्सी से ऋण लेकर।

(5) रक्षित निधि,

(6) अन्य निधियां।

(ब) समिति अपनी कुल प्रदत्त अंश पूंजी एवं रक्षित निधि के 20 गुने

तक ही ऋण ले सकेगी।

(स) समिति अपने सदस्यों से कार्यशील पूंजी के रुप में बैंक के ब्याज दर पर अस्थायी अमानतें स्वीकार कर सकती है।

(6) अंश पूंजी

समिति की प्राधिकृत अंशपूंजी रूपये 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) होगी, जो निम्नलिखित रुप से विभाजित होगी –

(1) रुपये 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) के 2000 अंश होंगे, जो रुपये 100.00 प्रति अंश के मान से 'अ' वर्ग के साग–सब्जी, फल–फूल उत्पादकों को दिये जावेंगे तथा जो सदस्य विपणन एवं परिवहन किसी भी प्रक्रिया से संलग्न होंगे।

(2) रुपये 50,000.00 के 500 अंश होंगे जो रुपये 100.00 के अंश भाग के मूल्य 'ब' वर्ग के अंश सदस्य हो, जो साग–सब्जी, फल–फूल उगाने हेतु स्वयं की कृषि भूमि रखते हों तथा उत्पादन की क्षमता हों, को दिये जावेंगे।

(3) रुपये 50,000.00 के 500 अंश होंगे जो रुपये 100.00 के अंश भाग के मूल्य से 'स' वर्ग के अंश राज्य शासन को ऐसे नियमितन एवं शर्तों के अधीन दिये जावेंगे जो शासन एवं समिति के बीच तय की गयी हो। समिति के तथा 'ब' वर्ग के सदस्य कुल पूंजी का 1/5 भाग तक अंश क्रय कर सकेगा।

(7) प्रवेश शुल्क

प्रवेश शुल्क 'अ' तथा 'ब' वर्ग के अंशधारियों को रुपये 25.00 (अक्षरी पच्चीस रुपये) देना होगा।

(8) सदस्यता

(1) समिति के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति हो सकेंगे, ऐसे व्यक्ति जो सब्जी, फल का उत्पादक हो एवं विपणन परिवहन की किसी भी प्रक्रिया से संलग्न हो, जिसका आचरण अच्छा हो, आयु 18 वर्ष से अधिक हो, को 'अ' वर्ग की सदस्यता प्रदान की जावेगी।

आमसभा जिसमें कि कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होने वाला है, के दिनांक से 60 दिन पूर्व तथा किसी अन्य आमसभा को सूचना जारी होने के दिनांक तक संशोधित की जावेगी और इसमें मत संशोधित सूची के दिनांक से सूची में संशोधन करने के दिनांक तक की अवधि में भर्ती किये गये सदस्यों का नाम शामिल किये जावेंगे। ऐसी संशोधित सूची सदस्यों की सूची होगी तथा इसके पूर्व की इस प्रकार की बनाई गई सूचियां रद्द समझी जावेगी। सदस्यों की सूची समिति के कार्यालय में, कार्यालय के समय में किसी भी सदस्य को निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

(2) वार्षिक आमसभा के लिए 15 दिन एवं विशेष आमसभा के लिए सात दिन की लिखित सूचना अण्डर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग द्वारा प्रत्येक सदस्य एवं जिला उपसहायक पंजीयक को दी जावेगी। आवश्यक होने पर दैनिक अखबार में भी बैठक की सूचना दी जा सकेगी, सूचना में बैठक के लिए निश्चित किये गये दिनांक, समय, स्थान एवं विचारणीय विषय का उल्लेख किया जावेगा।

(3) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, प्रत्येक मामले में उपस्थित मतदाता सदस्यों के बहुमत से किये जावेंगे, बैठक अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। आमसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 (एक बटा दस) अथवा 50 सदस्य जो भी कम हों, उपस्थिति अनिवार्य है। यदि कोरम पूरा न हुआ तो कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जावेगी। और पुनः उसी स्थान पर विचारणीय विषयों पर निर्णय लिये जावेंगे।

(17) आम सभा के अधिकार

आमसभा की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष आमसभा की बैठक के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य को सर्वसम्मति से बैठक हेतु अध्यक्ष निर्वाचित किया जावेगा, जो अध्यक्षता करेगा।

(1) सदस्यों को आमसभा में समिति के कारोबार संबंधित सर्वोच्च अधिकार निहित होंगे।

पर विचार करना तथा शुद्ध लाभ के साथ सिफारिश शर्तों के साथ आमसभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

(20) संस्था का आर्थिक बजट तैयार करना तथा उसे आमसभा के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

(21) समस्त मकानात, गोदाम, भवन, वाहन एवं यंत्र आदि खेती तथा घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं का आग लगने दुर्घटना होने तथा चोरी होने आदि के लिए बीमा करना और ऐसे बीमा को कायम रखने की व्यवस्था करना।

(22) कृषि के विपणन तथा परिवहन के लिए उचित बाजार के स्थानों का चयन करना।

(23) समिति के उपयोग में आने वाले बाट–तराजू तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का समय समय पर निरीक्षण करना।

(24) संग्रह पुस्तिका की जांच करना एवं वर्ष में कम से कम दो बार संग्रह का भौतिक सत्यापन करना।

(25) आमसभा द्वारा स्वीकृत तथा बजट प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे व्यय करना जो संस्था की व्यवस्था के लिए आवश्यक हो।

(26) अन्य प्रश्न जो इन उपविधियों के अनुसार कार्यकारिणी समिति प्रस्तुत करे तथा सदस्यों की ओर से प्रस्तुत की जावे।

(27) सदस्यों को सहायक धन्धों एवं उद्योगों को चलाने में वित्तीय सहायता की सुविधा की व्यवस्था करना।

(28) अपने ऐसे अधिकारों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सौंपना जो उसकी राय में संस्था के ठीक तरह से संचालन के लिए जरुरी हो।

(29) ऋणों के उपयोग पर निगरानी रखना तथा इसके लिए की गई प्रतिभूतियों की जांच करना।

(30) आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष कार्य हेतु उपसमिति गठित करना।

(31) आयकर अथवा विक्रय कर हेतु वित्तीय आडिट चार्टर्ड एकाउंटेन्ट

एवं विभागीय अधिकारियों से कराने।

(32) अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के लिए।

(23) क्रय–विक्रय समिति

क्रय विक्रय समिति में कुल 6 सदस्य होंगे जिनका गठन निम्नलिखित रुप से किया जावेगा।

(1) संस्था का अध्यक्ष – जो इस कमेटी का अध्यक्ष होगा।

(2) संस्था का उपाध्यक्ष – जो इस कमेटी का सदस्य होगा।

(3) प्रबंध संचालक/सचिव – सदस्य

(4) 'अ' वर्ग के सदस्यों में से एक संचालक – सदस्य

(5) सहकारिता विभाग का पदेन संचालक – सदस्य

(6) कृषि विभाग पदेन फलोद्यान संचालक – सदस्य

इस कमेटी के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, दो से ज्यादा सदस्य उपस्थित होने पर तात्कालिक निर्णय कार्य व्यापार के संबंध में ले सकेंगे। यह कमेटी प्रतिदिन या जब चाहे बैठक लेकर क्रय एवं विक्रय के संबंध में हित में जो भी निर्णय लेगी, वह बंधनकारी होगा।

(24) प्रबंध संचालक/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य

(1) समिति का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा तथा आमसभा प्रबंध कमेटी एवं क्रय विक्रय समिति की बैठक बुलावेगा तथा उनकी कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में लिपिबद्ध करेगा।

(2) समस्त कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा तथा कर्तव्य सूची के अनुसार कार्य लेगा।

(3) अध्यक्ष के साधारण नियंत्रण के अधीन न रहते हुए प्रबंध समिति कार्यपालन संबंधी प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे। यह वे अधिकारी होंगे जिसके नाम से ही समिति की ओर से समिति के विरुद्ध मुकदमे दायर किये जावेंगे। समिति के सभी बंध पत्र और कानूनी कागजातों को उनके द्वारा लिखा जावेगा।

संलग्न नहीं होने पर।

(2) सदस्यता से निष्कासित होने पर सदस्य द्वारा धारित अंश अथवा अंशों को जप्त किया जा सकेगा।

(14) किसी भी व्यक्ति की सदस्य निम्न स्थितियों में समाप्त की जावेगी।

(1) मृत्यु हो जाने पर।

(2) एक भी अंश का स्वामी ना होने पर।

(3) स्थायी रुप से पागल हो जाने पर।

(4) उपविधि 6 के अंतर्गत में तीन माह की सूचना के पश्चात सदस्यता छोड़ने पर।

(15) वार्षिक आमसभा

(1) उपविधियों में दर्शित बातों को छोड़कर समिति के प्रशासन से संबंधित सभी विषयों का सर्वोच्च अधिकार सामान्य निकाय को होगी।

(2) सामान्य निकाय की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार वार्षिक लेखा परीक्षा के बाद शीर्ष ऐसे स्थान पर और उसकी तारीख को जो संचालक मण्डल द्वारा निश्चित की गई हो, ऐसी बैठक वार्षिक आमसभा कहलायेगी।

(3) संचालक मण्डल जब कभी उचित समझे आमसभा की विशेष बैठक बुला सकेंगे और वह समिति कुल सदस्यों से एक दशांक सदस्यों अथवा जैसा भी सहकारी संस्था अधिनियम 1960 में हो, के हस्ताक्षरित से मांग आये तो, उन्हें मांग आने के एक माह के भीतर सामान्य निकाय की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक होगा।

(16) आमसभा के लिये सदस्यों की सूची तथा सूचना पत्रक एवं कोरम

(1) कार्यकारिणी प्रत्येक सहकारी वर्ष के अंतिम दिन समिति के सदस्यों को एक सूची तैयार करेगा, वह सूची समिति की वार्षिक

प्रबंधकारिणी समिति अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव का चुनाव करेंगी। प्रबंधकारिणी में निम्न प्रकार के 9 सदस्य होंगे।

निर्वाचित संचालक – 9 पद

(1) 'अ' वर्ग उत्पादक 8 विपणन एवं परिवहन प्रक्रिया में से संलग्न सदस्यों में से

(अ) महिला वर्ग में से,

(ब) आर्थिक रुप से कमजोर में से,

(अ) हरिजन/आदिवासी सदस्यों में से

(2) 'ब' वर्ग के सदस्यों में से

पदेन/नामांकित संचालक

(1) उपपंजीयक द्वारा नामांकित जो वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक से कम पद का नहीं एक होगा – एक

(2) उपसंचालक कृषि द्वारा नामांकित जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद से कम पद का ना हो – एक

(3) केन्द्रीय सहकारी अधिकोष/वित्तदायी बैंक द्वारा नामांकित जो ब्रांच मैनेजर से कम पद का नहीं होगा – एक

(4) नगरपालिक द्वारा जो निरीक्षक पद से कम का न हो नामांकित – एक

(5) विकासखंड अधिकारी – एक

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में प्रबंध संचालक मंडल का गठन हो तथा निर्वाचित/नामांकित सदस्य अपने में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं सचिव का निर्वाचन करेंगे।

(19) गणपूर्ति

प्रबंध संचालक मण्डल की बैठक के लिए कोरम 5 सदस्यों का होगा और विचारणीय विषयों पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(20) प्रबंध संचालक मण्डल की बैठक सूचना

प्रबंध कमेटी की बैठक बुलाने का दायित्व अध्यक्ष प्रबंध संचालक सचिव को होगा। बैठक की सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व बुलाई जावेगी सूचना पत्र सदस्यों को विचारणीय विषय के साथ लिखित में अण्डर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में भेजकर या पावती लेकर दी जायेगी।

(21) अध्यक्ष

अध्यक्ष को समिति का सामान्य नियंत्रण होगा।

(22) प्रबंध संचालक मण्डल के अधिकार और कर्तव्य

संचालक मण्डल के अधिकार और कार्य नीचे लिखे अनुसार होंगे।

(1) प्रबंध संचालक/मैनेजर/सचिव एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त करना, उनके पद का वेतनमान निश्चित करना तथा कर्तव्य निर्धारित करना।

(2) अपने समस्त कार्यों में विधान नियम तथा इन उपनियमों के प्रावधानों का पालन करना।

(3) समस्त माल, भत्तों एवं दायित्वों के प्राप्त किये तथा व्यय किये गये धनों तथा समस्त खरीदे बेचे गये माल का सही एवं ठीक–ठीक हिसाब रखना।

(4) संस्था के कार्य व्यापार हेतु क्रय एवं विक्रय समिति का गठन करना।

(5) उत्पादक कार्यक्रम तैयार करना, फसलों की योजना बनाना और उपलब्ध साधनों एवं माल व श्रम के उपयोग की योजना बनाना।

(6) सहकारी, गैर सरकारी भूमि को सब्जी की खेती के लिए अस्थायी पट्टे पर लेना तथा उस पर खेती करना।

(7) संस्था के लिए चल/अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय एवं किराया देने का अधिकार रहेगा।

(8) सदस्यों की भर्ती करना, और उन्हें अंश प्रदत्त करना तथा अंशों का हस्तांतरण स्वीकृत करना।

(9) संस्था की पूंजी विनियोजन स्वीकृत करना जिसमें सदस्यों को दिये जाने वाले माल व नगद की अग्रिम भी शामिल है।

(10) संस्था के कार्य चलाने के लिए आवश्यक पूंजी का ऋण प्राप्त करना तथा संस्था की सम्पत्तियों को बंधक रखने की स्वीकृति प्रदान करना।

(11) सदस्यों के साथ साग सब्जी, फल फूल के ऊपज को प्राप्त करने, बेचने, संग्रहण तथा विक्रय एवं विपणन की उचित व्यवस्था करना।

(12) पंजीयक या बैंक के समयानुसार सदस्यों द्वारा बिक्री के लिए संस्था के पास रखी गयी रहन तारण पर अग्रिम देना तथा ऐसे अग्रिमों की शर्तें तय करना।

(13) यह देखना कि संस्था कि किसी अधिकारी या अन्य सेवक अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन करते हैं और संस्था की दुकान माल एवं अन्य सम्पत्ति ठीक दशा में अच्छी प्रकार से रखी जाती है।

(14) उपनियम में वर्णित उद्देश्यों पर विचार कर आवश्यतानुसार उसके पूर्ति के लिए शासकीय नीति के अनुसार कार्यवाही करना।

(15) सदस्यों को उनके कृषि उपज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे रासायनिक खाद, बीज यदि एवं उपभोक्ताओं तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह के लिए गोदाम अथवा अन्य स्थान निर्मित करना, खरीदना, किराये पर लेना अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त करना।

(16) समिति के कारोबार के लिए लगने वाले अथवा पंजीयक द्वारा समय समय पर निर्धारित की गयी किताब की पुस्तकें एवं पंजी समिति में रखना होगा।

(17) सदस्यों के लिए घरेलू एवं आवश्यक तथा उपयोगी वस्तुओं के खरीदने के लिए एवं प्रदाय करने के लिए व्यवस्था करना।

(18) समिति के लिए घरेलू आवश्यक तथा साग–सब्जी, फल–फूल की खेती हेतु योग्य वस्तु खरीदना।

(19) समिति के अंकेक्षण, टीप तथा हिसाब के अंकेक्षित विवरण पत्रक

(2) तथापित कार्यकारिणी अथवा समिति के किसी भी अधिकारी ने इन उपविधियों के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कार्य किये हैं आमसभा में उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(3) अन्य विषयों के साथ निम्न विषयों पर वार्षिक आमसभा कार्यवाही दी जावेगी।

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा अंकेक्षण लेखा पत्रकों पर विचार करना।

(5) अधिनियम व नियम इन उपविधियों तथा पंजीयक के कोई साधारण अथवा विशेष निर्देशों के अनुसार गुण लाभ का वितरण करना।

(6) कार्यकारिणी द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार की गई समिति की गतिविधियों को स्वीकृत करना।

(7) कार्यकारिणी द्वारा तैयार किया गया आय व्यय का वार्षिक बजट स्वीकृत करना।

(8) कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करना।

(9) कार्यकारिणी के चुने हुए सदस्य अथवा सदस्यों को निकालना।

(10) उधर ली गई वर्तमान तथा नई रकम के संबंध में पंजीयक द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित करना।

(11) उपविधियों में संशोधन करना।

(12) बैठक के अध्यक्ष तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से कोई अन्य कार्यवाही करना।

(13) गत वार्षिक साधारण सम्मेलन की तारीख से 12 माह की कालावधि के भीतर अपने सदस्यों का उपनियमानुसार सम्मेलन भी बुलावेगी।

(18) प्रबंध संचालक मंडल कार्यकारिणी का गठन

संस्था की प्रबंधकारिणी 9 सदस्यों की होगी, प्रबंधकारिणीय कमेटी का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पद जो निर्वाचन द्वारा भरा जाता है, को दो कार्यकाल वर्ष से अधिक नहीं होगा या 11 वर्ष की लगातार की कालावधि के लिए इनमें से जो भी कम हो।

कागजात तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और बैंकों को चेक जारी करना या अपने तथा अध्यक्ष या सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ऐसे खातों से अन्य प्रकार के लेनदेन करना।

(15) समिति के माल सामान तथा अन्य सम्पत्ति का बीमा ऐसे नियमों पर करवाना जो कि ये उचित समझें।

(16) समिति की चल अचल सम्पत्ति की मरम्मत या उसमें सुधार करने की मंजूरी प्रबंध कमेटी की मंजूरी से देना।

(17) समिति के व्यापार से संबंधित कारोबार या कार्यक्रम तैयार करना और उसे प्रबंध कमेटी व मण्डल के सामने पेश करना।

(18) सदस्यों को रुपया या माल के रुप में अग्रिम धन ऐसे नियमों व शर्तों पर देना, जो प्रबंध कमेटी द्वारा मंजूर की गई हो।

(19) संचालक मण्डल व प्रबंध कमेटी की बैठकें बुलाना।

(20) मण्डल प्रबंध कमेटी व अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा साधारण सभा की बैठक बुलाई जाने पर उनकी ओर से सूचनाएं जारी करना।

(21) मण्डल तथा प्रबंध कमेटी द्वारा जैसा कि चाहा जावे। समिति के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन मण्डल तथा प्रबंध कमेटी के सामने रखना।

(22) मण्डल व प्रबंध कमेटी के सामने लेखा परीक्षण अंकेक्षण टीप प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लाभ हानि पत्रक लेनदेन पत्रक और निरीक्षण टीप रखना और उनका पालन सुनिश्चित करना।

(23) ऐसे वित्तीय लेनदेन और बंधनों के मामले में जिन्हें समिति के लिए करना आवश्यक है अपनी सिफारिश प्रबंध कमेटी के सामने रखना।

(24) अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन करने में समिति के व्यापार और कारोबार से संबंधित कागजात के लिए राशि मंजूर करना और उन्हें खर्च करने के लिए मंजूरी देना।

(25) समिति के कर्ज दायित्वों और मांगों का भुगतान करना और उन्हें समाधान करना।

(26) समिति के कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना और उन पर देखरेख नियंत्रण करना।

(27) साधारणतः किसी भी समय पर ऐसे सब कार्य और खर्च करना जो कि समिति के हित में या उसके हित के संरक्षण के लिए उपयुक्त अधिकार एवं कर्तव्य के अलावा वह उन सब अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उन्हें मण्डल प्रबंध कमेटी, अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा समय समय पर सौंपा जावे।

(25) लाभ का विवरण

समिति वर्ष के शुद्ध लाभ में से

(1) शुद्ध लाभ कम से कम 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष रक्षित निधि में जमा किया जावेगा।

(2) लाभ कि बिक्री निम्न हेतु काम में लाई जावेगी

(1) सदस्यों को लाभांश देने हेतु यह उसके द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

(2) सदस्यों को बोनस से छूट देने हेतु सदस्य द्वारा समिति के माध्यम से बेची गई कुल उपज के आधार पर निश्चित होगा।

(3) निम्ननिधियां बनाने व उनमें योग देने हेतु

(1) डुबन्त ऋण निधि

(2) मुख्य घट बढ़ निधि

(3) गबन निधि

(4) अस्थायी सम्पत्ति तथा वाहन आदि मरम्मत हेतु।

(5) अन्य निधि जो समय समय पर उप/सहायक/पंजीयक द्वारा निर्धारित की जावे या आमसभा द्वारा निश्चित की जावे।

(6) संस्था के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ से ऐसे चुकारे में जो शुद्ध लाभ को 8 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(7) यदि छ.ग. सहकारी समितियां, अधिनियम तथा नियम में

कोई अंश उपनियम में छूट गई हों अथवा जो भविष्य में संशोधित होंगे, लागू होंगे।

(26) उपनियमों में संशोधन

आमसभा में उपस्थित एवं मतदान सदस्यों के कम से कम 2/3 (दो बटे तीन) बहुमत के निर्णय से ही इन उपविधियों में संशोधन होगा और सहायक पंजीयक द्वारा अनुमोदित एवं पंजीयन होने के बाद यह संशोधन प्रभावकारी होगा।

(27) परिसमापन

(1) समिति का समापन पंजीयक सहकारी समितियों के आदेश द्वारा जो सहकारी समितियां अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत जारी किया जावेगा, होगा और परिमापक की नियुक्ति तथा समापन की कार्यवाही सहकारी अधिनियम और उसके अंतर्गत समय-समय पर बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(2) उपनियम उप सहायक पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा पंजीयन होने की तारीख से प्रभावशील होंगे।

(28)

संस्था अन्य संस्था या संबद्ध शीर्ष संस्था की सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क एवं हिस्सा क्रयकर, सदस्यता हेतु प्रबंधकारिणी के प्रस्ताव से आवेदन कर सकती है।

(29)

के समस्त निर्णय जो इस उपविधि में (समिति) सम्मिलित नहीं किया गया है, यह अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अधीन रहेंगे।

अध्यक्ष

....

विपणन सहकारी संस्था मर्यादित,

.... छ.ग.

(4) समिति के कारोबार से संबंधित सभी मामलों में मार्गदर्शन और देखरेख करना।

(5) समिति के प्रशासन पर साधारण नियंत्रण व देखरेख करना।

(6) ऐसे अधिकारों को प्रयोग में लाना जो कि उन्हें मण्डल कार्यपालन समिति अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सौंपे जावें।

(7) समिति की ओर से पत्र व्यवहार करना।

(8) समिति की ओर से कानूनी कार्यवाही शुरु करना, उनका संचालन करना और समिति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियों से समिति की ओर से अवगत करना तथा ऐसी कानूनी कार्यवाहियों के लिए किसी भी दीवानी, फौजदारी, राज्य न्यायालयों में या प्राधिकारी के सामने सभी आवश्यक कार्य करना और कानूनी न्यायवादियों अथवा एजेंटों को ऐसे नियमों पर नियुक्त करना जो प्रबंधक उचित समझे।

(9) समिति के कामकाज से संबंधित समिति तथा उसके अधिकारियों के पक्ष और विपक्ष के कर्ज दावे विवाद का कानूनी कार्यवाहियों को भेजना, जैसा कि मंडल तथा कार्यपालन समिति निश्चित करे छोड़ देना, समझौता करना या पंच निर्णय पर सौंपना।

(10) समिति के नाम से तथा समिति की ओर से इकरारनामा और दस्तावेजों को लिखना और सभी बातों को करना।

(11) प्रबंध कमेटी द्वारा स्वीकृत शर्तों पर चल और अचल सम्पत्ति लेने के लिए अथवा उसके उपयोग करने के लिए समिति के नाम से और समिति की ओर से विलेख लिखना व सभी काम व बातें करना।

(12) ऋण तथा जमा कर, कर रुप रकम देने के लिए समिति के नाम से व समिति के विलेख लिखना तथा सभी काम।

(13) शासक प्रतिभूतियों और अन्य स्वत्व अधिकार के दस्तावेजों पर जैसा कि प्रबंध समिति द्वारा मंजूर किया हुआ होवे पृष्ठांकन करना, उन्हें बेचना, हस्तांतरित करना, गिरवी रखना या किसी अन्य प्रकार से व्यवहार करना।

(14) समिति के नाम से बैकों में खाते खोलना और आवश्यक